

:: कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ::

:: कार्यालय-आदेश ::

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, अलवर की अभिशंषा के आधार पर निम्नलिखित कार्मिक की राजस्थान सेवा नियम 160(घ) के प्रावधानानुसार कार्यवाही करते हुए डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका जारी करने की सक्षम स्वीकृति प्रदान की जाती है-


क्र.स.	नाम कार्मिक	पद	पदस्थापन स्थान
01.	श्रीमती सरोज सामरिया	अध्यापक लेवल-1	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दिवाकरी, ब्लॉक-उमरैण, जिला-अलवर



(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्था/एफ-3/13321/डुप्लीकेट सेवापुस्तिका/2017/72 दिनांक: 14-01-2021
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, अलवर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आपके पत्र में उल्लेखित दोषी कार्मिक श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, कनिष्ठ सहायक के विरुद्ध सीसीए नियम-16 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें।
2. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने बाबत।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दिवाकरी, ब्लॉक-उमरैण, जिला-अलवर।
4. सम्बन्धित कार्मिक।
5. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर